लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक फरवरी 2, 1980
हेतु विचारणीय विषयों की सूची

- : o : -

विषय संख्या-1 : विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण । (1)

विषय संख्या-2 : कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में प्लाट्स के आवण्टन की प्रक्रिया तथा ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन के यूनियन भवन के लिये भूमि की दर का निर्धारण । (6)

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-79 जो पूर्वान्ह 10-30 बजे प्राधिकरण स्थिति कमेटी कक्ष में हुई, का कार्यवृत्त ।

=x=x=x=x=x=x=

<u>उपस्थित</u>:-

1-	श्री पी०पी०खान्ना	आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2-	श्री वी०जे०खोदाजी	आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं पुर्नवास, उत्तर प्रदेश शासन ।
3-	श्री योगेन्द्र नारायण	जिलाधिकारी, लखनऊ ।
4-	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5-	श्री ओ०पी०विश्नोई	महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन, उ०प्र०जलनिगम, लखनऊ ।
6-	श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम	सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
7-	श्री करुणा शंकर वाजपेयी	सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
8-	श्री एम०ए०लारी	सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
9.	श्री बी०के०चतुर्वेदी	आवास, " " "

=x=x=x=x=x=x=

<u>अन्य उपस्थित</u> :-

1-	श्री ध्यान सिंह वर्मा	सचिव, विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

=x=x=x=x=x=x=

<u>विषय संख्या: 1</u> विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

<u>विषय संख्या: 2</u> विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: सचिव ने अवगत कराया कि अनुपालन आख्या प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी । अत: निर्णय लिया गया कि उक्त अनुपालन आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

<u>विषय संख्या:3</u> बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति आख्या ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: सचिव ने अवगत कराया कि वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जा सकेगी ।अत: निर्णय लिया गया कि उक्त आख्या आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

<u>विषय संख्या: 4</u> कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्टनगर योजना में भूखण्डों का विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में चुँगी कार्यालय योजना के दक्षिणी सिरे पर प्रस्तावित किया गया है । निर्णय लिया गया कि इस कार्यालय को उचित स्थान पर रखने के लिये उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण चूंकि प्रशासक नगर महापालिका भी हैं अस्तु इस सम्बन्ध में

क्रमश:----2

वे अपने स्तर पर निर्णय ले लें ।

2- ट्रान्सपोर्टनगर योजना में गोदाम एवं कार्यालयों के ऊपर आवासीय भवन बनाने के लिये अनुमति प्रदान की जाती है । परन्तु इन भवनों के बनाने में आर्किटेक्चरल नियन्त्रण पूर्ण रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण का रहेगा ।

3- भूखण्डों को फ्री-होल्ड देने के सम्बन्ध में ट्रान्सपोर्टर्स ऐसोसियेशन की मांग अस्वीकार की जाती है ।

4- भूखण्डों की विक्रय दर रू0 7-40 प्रति वर्ग फुट निर्धारित की जाती है । उक्त दर से अतिरिक्त प्रथम पांच वर्ष के लिये लीज़रेन्ट कुल प्रीमियम का 2% वार्षिक होगा तत्पश्चात अगले पांच वर्ष के लिये 3% अगले पांच वर्ष के लिये 4% तथा अगले पन्द्रह वर्ष के लिये 5% होगा । 30 वर्ष के पश्चात लीज़ नवीनीकरण के योग्य होगी । लीज़ के नवीनीकरण के समय लीज़रेन्ट उस समय देय लीज़रेन्ट का ड्योढ़ा हो जायेगा । अगले 30 वर्ष के पश्चात पुन: यह लीज़ नवीनीकरण योग्य होगी तथा उस समय भी देय लीज़रेन्ट को ड्योढ़ा कर दिया जायेगा । इस प्रकार लीज़ कुल 90 वर्ष के लिये होगी जो प्रत्येक 30 वर्ष के पश्चात उपरोक्तानुसार नवीनीकरण योग्य होगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्डों के कुल प्रीमियम का 1/3 भाग ट्रान्सपोर्टर्स से तुरन्त जमा करा लिया जाये तथा शेष 2/3 भाग छमाही किश्तों में 2 वर्ष के अन्दर वसूल कर लिया जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दरें विकास के वर्तमान स्तर के लिये निर्धारित की जाती है तथा भविष्य में और विकास होने पर उन्हें बढ़ाया जा सकता है ।

5- यह भी निर्णय लिया गया कि ट्रान्सपोर्टर्स-ऐसोसियेशन के यूनियन भवन के लिये भूमि सामान्य दर के 75% मूल्य पर उपलब्ध करा दी जाए ।

6- विक्रय दर प्रति वर्ग फुट के बजाय प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारित की जाये ।

7- ट्रान्सपोर्ट नगर की समस्त स्थिति को 6 माह बाद पुन: रिव्यु किया जाए ।

8- दो वर्ष के लिये कैश फ्लो स्टेटमेन्ट तैयार कर लिया जाये ।

9- रोड्स आदि के स्पेसिफिकेशन पी0डब्लू0डी0 से चेक करा लिये जायें ।

10- जन सेवाओं (कमुनिटी सर्विज़) में पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन डिसपेन्सरी, फायर सर्विस, टेलीफोन इक्सचेन्ज के अतिरिक्त होटल भी माना जाये । इन सर्विसेज़ के लिये योजना की दरों पर ही भूमि उपलब्ध कराई जाये, कोई छूट न दी जाये ।

<u>विषय संख्या: 5</u> विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव संख्या: 26 द्वारा गठित उपसमिति की विद्यालयों को भूमि आवन्टन हेतु अनुशंसा ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा स्वीकृति दरों के बारे में सूचना प्राप्त कर

ली जाए तथा इस सम्बन्ध में एक उप समिति भी गठित की जाती है जिसमें सचिव, आवास एवं पुर्नवास, उ०प्र० शासन, आवास आयुक्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, श्री करूणा शंकर वाजपेयी, सदस्य, विकास प्राधिकरण एवं उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण सदस्य होंगें ।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति की रिपोर्ट अगली विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

<u>विषय संख्या:6</u> प्राधिकरण के भवनों की किराये की वसूली बैंक के माध्यम से होने की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि जनवरी 1980 से प्राधिकरण के भवनों की किराये की वसूली बैंक के माध्यम से न करके प्राधिकरण स्वयं कराये ।

<u>विषय संख्या:7</u> प्रथम चरण में निर्मित नक्खास मार्केट की दुकानों के समक्ष निर्मित 2 छोटे पार्कों को समाप्त करके उक्त स्थल पर ईटों का खड़न्जा अथवा सीमेन्ट का फर्श लगाना ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त पार्क हटा दिये जायें परन्तु हटाने तथा पुन: फर्श निर्माण की कास्ट सम्बन्धित दूकानदारों से वसूल की जाये । प्राधिकरण इस पर कोई भी व्यय भार वहन नहीं करेगा ।

<u>विषय संख्या:8</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण में कमेटियों का गठन ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: विषय स्थगित किया गया ।

समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका ।

<u>विषय संख्या:9</u> उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को 25-00 लाख रुपये तक के प्राविधिक कार्यों की निविदायें एवं व्यय अनुमान स्वीकार करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 20(2) में दर्शित कार्यों के संचालन हेतु धारा 51(2) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-9-78 की विषय संख्या 10(1)(घ) को संशोधित करके समस्त व्ययअनुमानों, उनकी निविदायें, अनुबन्ध एवं संचालन व्यय इत्यादि के स्वीकृति के अधिकार रू० 10-00 लाख तक के स्थान पर रू० 25-00 लाख तक के लिये प्रतिनिधानित किये जाते हैं ।

<u>विषय संख्या:10</u> कुर्सी रोड एवं सीतापुर रोड के बीच की भूमि का अर्जन ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि अलीगंज आवास योजना के आगे मास्टर प्लान में अंकित आवासीय क्षेत्र में सीतापुर रोड तथा कुर्सी रोड के बीच स्थित भू-भाग पर प्रस्तावित योजना

बनाई जाए जिसके सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये जाते हैं :-

1- उक्त भूमि जिसका क्षेत्रफल 1757-53 एकड़ है, को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2- योजना का नाम "सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना" रखने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

<u>विषय संख्या:11</u> शहर के मध्य बटलरगंज स्कीम के भूखण्ड संख्या-23 की भूमि का अर्जन ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्भवत: इस भूमि पर आवास एवं विकास परिषद ने भी कोई योजना बनाई है अत: पहले उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से मालूम कर लिया जाये और यदि उनकी वहाँ कोई स्कीम नहीं है तो प्रस्तावानुसार अर्जन की कार्यवाही की जाये ।

<u>विषय संख्या:12</u> शहर के मध्य बटलर गंज स्कीम के भूखण्ड संख्या-10 की भूमि का अर्जन ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> विषय संख्या-11 में लिये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।

<u>विषय संख्या:13</u> ए०पी०सेन रोड स्थिति मवैया चारबाग योजना के नजूल भूखण्ड संख्या-14 पर आवासीय योजना ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> विचार विमर्श उपरान्त ए०पी०सेन रोड पर बहुखण्डीय आवासीय भवन बनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

उक्त नजूल भूखण्ड संख्या-14 के लीज़ राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित कर आवासीय योजना बनाने की अनुमति दी जाती है ।

<u>विषय संख्या:14</u> नक्खास योजना में चिड़िया बाज़ार के समीप क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> उपाध्यक्ष ने बताया कि नक्खास योजना के सामने स्थिति चिड़िया बाज़ार के समीप क्षेत्र जो खंडहर के रूप में है को अर्जित करके विकसित कर शापिंग काम्पलेक्स बनाये जाने का प्रस्ताव रक्खा गया है । विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

उक्त भूखण्ड को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करके शापिंग काम्पलेक्स बनाने की अनुमति दी जाती है ।

क्रमश ------5

<u>विषय संख्या: 15</u> नक्खास योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दूकानों के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि बड़ी दूकान का किराया रु0 100/- प्रतिमाह तथा छोटी दूकान का किराया रु0 75/- प्रतिमाह लिया जाये तथा पहिले पाँच वर्ष पश्चात किराया रु0 50/- प्रतिमाह बढ़ाकर क्रमशः 150/- प्रतिमाह व 125/- प्रतिमाह कर दिया जाये तदुपरान्त 5 वर्ष पश्चात यह किराया क्रमशः 200/- रूपये प्रतिमाह व 175/- रूपये प्रतिमाह रहेगा । प्रीमियम की धनराशि बड़ी दूकान के लिये रु0 2,000/- तथा छोटी दूकान के लिये रु0 1,000/- रखी जाये । इसमें क्रमशः 800/- रूपये तथा रु0 400/- तुरन्त ले लिया जाये तथा शेष 6-6 माह के बाद समान किश्तों में लिया जाये और तद्नुसार ही पूर्व में आवन्टित दूकानों के दूकानदारों से किराया आदि लिया जाये । उनसे प्राप्त अधिक धन को लौटाया न जाये बल्कि उसे अग्रिम अवधि में समायोजित कर दिया जाये ।

ह0 ध्यान सिंह वर्मा
(ध्यान सिंह वर्मा)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

<u>अ नु मो दि त</u>

ह0 पी0 पी0 खन्ना
(पी0 पी0 खन्ना)
आयुक्त
लखनऊ मण्डल
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

एम/आर xxx

विषय संख्या-2: कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में प्लाट्स के आवण्टन की प्रक्रिया तथा ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन के यूनियन-भवन के लिये भूमि की दर का निर्धारण ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-79 के प्रस्ताव संख्या-4 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया था कि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों की विक्रय दर रू0 7-40 प्रति वर्गफुट निर्धारित की जाती है तथा उपरोक्त दर के अनुसार जो भी प्रीमियम आयेगा उसका एक-तिहाई धन ट्रान्सपोर्टर्स द्वारा जमा करा लिया जाय तथा बाकी दो-तिहाई धन दो वर्ष में छमाही किश्तों में वसूल कर लिया जाय ।

उपरोक्त प्रस्ताव में यह भी निश्चित किया गया था कि ट्रान्सपोर्टर्स द्वारा भूमि की सामान्य दर का 75 प्रतिशत धन जमा करा लिया जाय ।

इस सम्बन्ध में लखनऊ ट्रक ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन ने अपने पत्र दिनांक 11-1-80 द्वारा यह सूचित किया है कि वह रू0 7-40 प्रति वर्गफुट की दर से एक-चौथाई धन तुरन्त जमा कर देंगे तथा बाकी तीन-चौथाई धन चार वार्षिक किश्तों में देंगे । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन के यूनियन भवन के लिये भूमि सामान्य दर की आधी दर पर अर्थात् रू0 3-40 प्रति वर्गफुट की दर से दी जाय । यूनियन भवन के लिये आधी दर, जैसा कि पत्र में उल्लिखित है, रू0 3-40 प्रति वर्गफुट नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह टंकण की गलती है । यह दर रू0 रू0 3-70 प्रति वर्गफुट आती है ।

लखनऊ ट्रक ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन का उपरोक्त पत्र दिनांक 11-1-80 (प्रतिलिपि संलग्न) प्रस्तावित बातों पर विचार एवं निर्णय हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

- : 0 : -

COPY

LUCKNOW TRUCK TRANSPORTOR'S ASSOCIATION
Sudarshan Building, Charbagh,
LUCKNOW

Ref: Transport Nagar Dated: 11 Jan, 1980

To,

The Chairman,
Lucknow Development Authority,
L U C K N O W.

Subject: Allotment of the land in Transport Nagar.

Dear Sir,

Kindly refer to our meeting held on Dec 22, 1979 for final finalisation of cost of land in Transport Nagar. It was agreed that land will be given @ Rs.7.40 Paisa square feet, one fourth cost will be deposited as initial money and the balance amount within 4 instalments in 4 years easy instalments. Land will be distributed by lottery system.

It was further decided that land for Transport Bhawan will be given at half rate i.e. Rs. 3-40 paisa per square feet.

On 26th Dec. 1979 our representative S Gurbux Singh Buxi met you along with a cheque for Rs. 50,000/- for union Bhawan plot, but your honour refused to accept the cheque with the plea that Board of LKO does NOT agree with the above proposal.

In view of the cirsumstances it is humbly requested that you should decide this matter within 15 days from the receipt of this letter, otherwise our union will not be in a position to have this land, and we will make our own arrangements.

Further more it is stated that your honour will not be in a position to compell us to leave the Charbagh truck stand.

Thanking you in anticipation.

Sd/-Gurbux Singh Buxi
Your's Sincerely,

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2-2-1980
जो पूर्वान्ह 4-00 बजे प्राधिकरण कमेटीकक्षा में हुई,
का कार्य-वृत्त

x x x x x x x x x

उपस्थित :

1-	श्री बी0जे0खोदायजी	आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0शासन, आवास, नगर विकास एवं सहायता एवं पुनर्वास विभाग, लखनऊ। (दिनांक 2-2-1980 की बैठक में अध्यक्ष चुने गये)
2-	श्री बी0के0चतुर्वेदी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3-	श्री जयन्ती प्रसाद दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
4-	श्री ओ0पी0विश्नोई	महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5-	श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम	सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6-	श्री करूणा शंकर बाजपेयी	सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7-	श्री मरगोब अहमद लारी	सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

x x x x x x

अन्य उपस्थित :

1-	श्री ध्यान सिंह वर्मा	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

x x x x x x

विषय संख्या: 1

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-1979 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पारित प्रस्ताव:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-1979 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नलिखित संशोधनों के साथ की गयी :-

1- श्री एम0ए0लारी, सदस्य, विकास प्राधिकरण की उपस्थिति निरस्त समझी गयी।

2- विषय संख्या-7 में पारित प्रस्ताव निम्न प्रकार से पढ़ा जायेगा :
"विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के व्यय पर उक्त पार्क हटा दिया जाय तथा उस स्थान पर फर्श का निर्माण करा दिया जाये"।

विषय संख्या: 2

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों के आवन्टन की प्रक्रिया तथा ट्रान्सपोर्टर्स ऐसोसियेशन के यूनियन भवन के लिये भूमि की दर का निर्धारण।

पारित प्रस्ताव:

लखनऊ ट्रक ट्रान्सपोर्टर्स ऐसोसियेशन के अध्यक्ष श्री गुरु बक्श सिंह बक्शी के पत्र दिनांक 11-1-1980 पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय

क्रमश:-----2

लिया गया :-

1- ट्रान्सपोर्ट नगर में रू0 7-40 पैसा प्रति वर्ग फिट की दर से भूखण्डों की जो भी कीमत आये उसका एक चौथाई धन आवन्टन के समय प्रत्येक आवन्टी से जमा करा लिया जाये तथा शेष 3/4 धन 4 वार्षिक किश्तों में जमा करा लिया जाये।

2- भूखण्डों का आवन्टन लाटरी पद्धति से किया जाये।

3- ट्रान्सपोर्टर्स ऐसोसियेशन के यूनियन भवन के लिये भूमि सामान्य दर से 50 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करा दी जाये।

तद्नुसार, दिनांक 22-12-1979 को प्राधिकरण की बैठक के विषय संख्या-4 में पारित प्रस्ताव को उक्त हद तक संशोधित कर दिया गया।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय</u> :

<u>विषय संख्या: 3</u>

लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में।

<u>पारित प्रस्ताव:</u>

नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना हेतु विचार किया गया तथा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1- कैटिल कालोनी की स्थापना हेतु एक अल्प कालीन तथा एक दीर्घ कालीन योजना बनाई जाये।

2- अल्प कालीन योजना इस प्रकार से बनाई जाये कि उसका दीर्घ कालीन योजना में समावेश हो जाये।

3- पशु स्वामियों को कैटिल कालोनी की स्थापना हेतु कुछ सुविधायें एवं सहायता प्रदान की जाये जिसमें मिल्क ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था का भी प्राविधान हो। मिल्कमैन के लिये आवासीय भूखण्ड आरक्षित किये जायें तथा प्रत्येक 10 पशुओं के लिये .5 एकड़ क्षेत्रफल का भूखण्ड लीज़ पर दिया जाये।

4- उक्त योजना का समाचार पत्रों के अतिरिक्त "विविध भारती"" प्रोग्राम में रेडियो द्वारा भी विज्ञापन दिया जाये।

5- पशु-स्वामियों की बैठक अलग बुलाकर उनसे विचार-विमर्श कर लिया जाये ।

6- एक तिथि निश्चित कर दी जाये जिसके पश्चात कोई भी पशु निषिध्द क्षेत्र में नहीं रह सकेगा ।

7- पशु स्वामियों के लिये उसी स्थान पर आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाये ।

8- दो प्रकार के शेड बनाये जायें जिसमें से कुछ 5 पशुओं के लिये हों तथा कुछ 10 पशुओं के लिये हों ।

9- स्थान की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जा सकती है :-

1- खुला स्थान तथा दो कमरे ।
2- खुला स्थान तथा शेड ।
3- खुला स्थान तथा शेड एवं दो कमरे ।

10- उक्त योजना में दुग्ध निदेशक से भी योगदान लिया जाये ।

11- शासन के विभिन्न विभागों से जन सेवायें {कमुनिटी सर्विसिज़} जुटाने हेतु योगदान लिया जाये ।

12- उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करके उपाध्यक्ष महोदय व्दारा केटिल कालोनी के स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

ह0 ध्यान सिंह वर्मा
{ध्यान सिंह वर्मा}
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अनुमोदित
===========

ह0 बी0जे0खोदायजी,
11-3-80
{बी0जे0खोदायजी}
सचिव
आवास एवं नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
विधान भवन, लखनऊ

एम/आरxxx